न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 270/2018/225 आर टी ए

1. मदनलाल पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी करणीसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. गोपीराम पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी सैक्टर नं. 12 हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. सुखविन्द्र सिंह पुत्र चिन्तासिंह जाति कम्बोज सिख निवासी डबली राठान तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंण्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 16.07.2018 न्यायालय उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़
प्रकरण संख्या 218/2018 अनवानी सुखविन्द्र सिंह बनाम स्टेट

उपस्थित :–

श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता अपीलांटस

श्री खुशप्रीतसिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं. 2

निर्णय दिनांकः–14.08.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 251ए आरटीए पेश कर कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 व उसके भाईयों की कृषि भूमि की सिंचाई के लिये रेस्पो0 सं. 1 ने चक 13 एसटीजी मे अपने हक व हिस्सा भूमि मे नलकूप के लिए बोर लगाया हुआ है तथा इस नलकूप के जरिये रेस्पो0 सं. 1 अपनी अन्य कृषि भूमि चक 9 एसटीजी की भूमि की सिंचाई के लिऐ पाईप लाईन डलवाना चाहता है। रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 को चक 13 एसटीजी के प.न. 86/295 (2) के कि.न. 1 व प.न. 85/294(12) के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे स्थित गैर मुमकिन रास्ता की जगह मे से 3 फुट से अधिक गहराई की पाईप लाईन अपनी भूमि मे ले जाना चाहता है। उक्त पाईप लाईन बिछाने व सिंचाई सुविधा हेतु अन्य किसी काश्तकार या अप्रार्थी को क्षति नही है। इसलिये उक्त भूमि पाईप लाईन ले जाने की अनुमति प्रदान की जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली तलबी व तहसीलदार से रिपोर्ट तलब करने के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश पारित किये तथा दिनांक 09.07.2018 को बहस सुनी जाकर दिनांक 16.07.2018 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। अपीलांट सं. 1 व उसकी माता व भाईयो की चक 13 एसटीजी के प.न. 85/294 के कि.न. 25 व प.न. 86/293 मु.न. 13 कि.न. 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 21 कुल 2.530 है0 व अपीलांट सं. 2 गोपीराम की चक 13 एसटीजी के प. न. 85/293 मु.न. 11 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 व प.न. 86/295 मु.न. 20 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 कुल 2.530 है0 मे से 1.265 है0 भूमि है। अपीलांट सं. 1 की अपनी कृषि भूमि मे नलकूप स्थापित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश से अपीलांट विपरीत रूप से प्रभावित है तथा अपीलांट उक्त आदेश से व्यथित होकर बतौर तृतीय पक्षकार अपील प्रस्तुत कर रहे है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अधिवक्ता अपीलांट ने बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कतई गलत, विधि विरूद्ध रिकार्ड एवं मौका की स्थिति का अवलोकन किये बिना पारित किया गया है जो अपास्त योग्य है। प्रश्नगत नलकूप से प्रश्नगत भूमि मे से पाईप लाईन को स्वीकृत करवाने के लिए जगदीशसिंह पुत्र मलकीतसिंह ने विविध प्रार्थना पत्र संख्या 128/2018 अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 29.05.2018 को प्रस्तुत किया जिसमे अपीलांट ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा जगदीश सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया। उक्त प्रार्थना पत्र का अभी तक निस्तारण नही हुआ है। रेस्पो0 सं. 1 ने न्यायालय को मुगालता मे रखकर व अपीलांट को जानबूझकर पक्षकार बनाये बिना उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। रेस्पो0 सं. 1 की चक 13 एसटीजी मे अपने भाईयो के साथ 0.053 है0 भूमि ही है। रेस्पो0 सं. 1 की चक 9 एसटीजी मे कितनी भूमि है, इस संबंध मे रेस्पो0 सं. 1 ने अपने प्रार्थना पत्र मे कोई कथन नही किये। रेस्पो0 सं. 1 ने अपने प्रार्थना पत्र मे नलकूप कौनसे किला नम्बर मे स्थापित है, इस संबंध मे कोई कथन नही किये। वस्तुतः रेस्पो0 सं. 1 प्रश्नगत नलकूप से अपनी कृषि भूमि मे पानी नही लगाकर उक्त पानी को विक्रय करना चाहता है। अपीलांट सं. 1 व चक के अन्य काश्तकारो के नलकूप पास पास है। रेस्पो0 सं. 1 द्वारा कथित नलकूप चालू होने से पानी का वाटर लेवल अत्यधिक नीचा होने से अपीलांट का नलकूप व अन्य नलकूप बन्द हो जायेगें जिससे अपीलांट अपनी कृषि भूमि काश्त नही कर पायेगा। रेस्पो0 सं. 1 के प्रार्थना पत्र के अभिवचनो के मुताबिक रेस्पो0 सं. 1 का प्रार्थना पत्र विधि अनुसार पोषनीय नही है। प्रश्नगत रास्ता सार्वजनिक रास्ता है जो कई गांवो को आपस मे जोड़ता है। रेस्पो0 सं. 1 द्वारा यदि

रास्ते की भूमि मे पाईप लाईन बिछाई जाती है तो रास्ता अवरूद्ध हो सकता है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कोई अधिभारी अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदारी की जोत से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना चाहता है तो सहायक कलैक्टर को सुनने की अधिकारिता प्राप्त है परन्तु रेस्पो0 रास्ता की भूमि पर पाईप लाईन स्वीकृत करवाना चाहता है। अधिवक्ता अपीलांटस ने बहस के अन्त मे धारा 96 सीपीसी पर कथन करते हुए न्यायिक दृष्टांत 2016 (2) आरआरटी पेज 993 पेश कर तर्क किया कि अपीलांटस अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है तथा धारा 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अनुसार समस्त रास्ते तथा समस्त भूमि जो अन्य किसी की सम्पति नही है वह राज्य सरकार की है। प्रश्नगत रास्ता राज्य सरकार की सम्पति है जिसमे किसी प्रकार की बाधा कारित का अधिकार किसी प्राईवेट व्यक्ति को प्राप्त नही है। रास्ता सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग का है जिसमे रास्ता से प्रभावित काश्तकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

4. अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.07.2018 के जरिये चक 13 एसटीजी मे गैरमुमकिन रास्ता मे कुल 6 बीघा रास्ता भूमि मे 3 फुट नीचे पाईप लाईन डालने की स्वीकृति प्रदान की है। धारा 96 सीपीसी के संबंध मे कथन किया कि अपीलांटस उक्त आदेश से किस प्रकार से प्रभावित पक्षकार है, इस बाबत अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र मे कही कोई उल्लेख नही किया है। गैरमुमकिन रास्ता की आराजी से अपीलांट का कोई संबंध या सरोकार नही है। धारा 96 सीपीसी के तहत व्यथित पक्षकार वह है जिसके हक व अधिकार किसी भी प्रकार से प्रभावित अपील मे दिये गये निर्णय से प्रभावित होते हो, वर्तमान प्रकरण मे अपीलांटस का विवादित भूमि मे किसी भी प्रकार का हक व अधिकार निहित नही है तथा न ही वे अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित है। अपीलांटस विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से किसी भी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नही है तथा ना ही अपीलांट यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। रेस्पो0 सं. 1 लघु काश्तकार है जिसको पाईप लाईन स्वीकृत नही होने से उसकी भूमि को पानी सिंचित नही होगा जिस कारण रेस्पो0 सं. 1 को भारी परेशानी का सामना करना पडेगा। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत डीएनजे 2018 पेज 46, आरआरडी 2016 पेज 313, आरआरडी 1990 पेज 555, आरआरडी 1989 पेज

292, सीसीसी 2013 (1) पेज 833 प्रस्तुत कर कथन किया कि न्यायिक दृष्टांत मे यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अपील केवल व्यथित पक्षकार द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकती है तथा व्यथित पक्षकार वह है जिसके हक व अधिकार किसी भी प्रकार से अपील मे दिये गये निर्णय से प्रभावित होते है। हस्तगत प्रकरण मे मंजूर की गई पाईप लाईन की आराजी मे अपीलांट का किसी भी प्रकार का हक व अधिकार निहित नही है तथा न ही अपीलाधीन निर्णय से अपीलांट प्रभावित होते है। यह भी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि कोई भी व्यथित पक्षकार किसी निर्णय को अगर चुनौती देता है तो उसे यह भी साबित करना होगा कि उसे चुनौती से क्या प्राप्त होने वाला है, बिना किसी अनुतोष मांगे किसी निर्णय को अपील के माध्यम से चुनौती नही दी जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र दफा 96 सीपीसी खारिज किया जाकर अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा धारा 96 सीपीसी के संबंध मे न्यायिक दृष्टांत डीएनजे 2018 पेज 46, आरआरडी 2016 पेज 313, आरआरडी 1990 पेज 555, आरआरडी 1989 पेज 292, सीसीसी 2013 (1) पेज 833 प्रस्तुत कर कथन किया कि न्यायिक दृष्टांत मे यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अपील केवल व्यथित पक्षकार द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकती है तथा व्यथित पक्षकार वह है जिसके हक व अधिकार किसी भी प्रकार से अपील मे दिये गये निर्णय से प्रभावित होते है। हस्तगत प्रकरण मे मंजूर की गई पाईप लाईन की आराजी मे अपीलांट का किसी भी प्रकार का हक व अधिकार निहित नही है तथा न ही अपीलाधीन निर्णय से अपीलांट प्रभावित होते है। इन परिस्थितियों मे अपील अपीलांट धारा 96 सीपीसी पर ही खारिज होने योग्य है।

6. अपीलांट के अभिभाषक द्वारा धारा 96 सीपीसी के संबंध मे आरआरटी 2016(2) पेज 998 माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि धारा 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत गैर मुमकिन रास्ता राज्य सरकार की सम्पति है। धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। गैर मुमकिन रास्ता सामान्यजन के उपयोग तथा उपभोग की सम्पति है जिसकी मालिक राज्य सरकार है। सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग मे किसी भी प्रकार से कोई बाधा अथवा अड़चन पैदा की जाती है तो सामान्यजन व्यथित पक्षकार है तथा न्यायिक प्रक्रिया के तहत अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिये अपीलांट सार्वजनिक उपयोग एवं

उपभोग रास्ता के निरस्त होने के कारण प्रभावित पक्षकार है तथा अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी भी है। ऐसी स्थिति मे धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है

7. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन के पश्चात यह साबित है कि धारा 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत गैर मुमकिन रास्ता राज्य सरकार की सम्पति है। धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किसी व्यक्ति को अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता है। गैर मुमकिन रास्ता सामान्यजन के उपयोग तथा उपभोग की सम्पति है जिसकी मालिक राज्य सरकार है। सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग मे किसी भी प्रकार से कोई बाधा अथवा अड़चन पैदा की जाती है तो सामान्यजन व्यथित पक्षकार है तथा न्यायिक प्रक्रिया के तहत अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है।

8. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए के तहत दिनांक 16.07.2018 के जरिये चक 13 एसटीजी मे गैरमुमकिन रास्ता मे कुल 6 बीघा रास्ता भूमि मे 3 फुट नीचे पाईप लाईन डालने की स्वीकृति प्रदान की है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए एवं इसके अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 संशोधित अधिनियम 2012 मे भी सरकारी/गैरमुमकिन रास्ता की भूमि मे से पाईप लाईन बिछाने/डालने की अनुमति के प्रावधान नही है। इसके अतिरिक्त इस संबंध मे राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना परिपत्र/आदेशो मे भी राजकीय/गैरमुमकिन रास्ता की भूमि मे से पाईपलाईन बिछाने/डालने की अनुमति को धारा 251ए आरटीए के अन्तर्गत शामिल नही किया गया है। हस्तगत प्रकरण मे यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि गैरमुमकिन रास्ता/सरकारी रास्ता की मालिक राज्य सरकार है और तहसीलदार की रिपोर्ट मे रास्ता के संबंध मे कोई निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार की अनुशंषा भी आवश्यक है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट मे किसी प्रकार की कोई अनुशंषा नही की गई। उक्त परिस्थितियों मे अपीलाधीन आदेश सुसंगत विधि/नियम/आदेशो पर आधारित नही होने के कारण पुष्टि योग्य नही होने से निरस्त योग्य है। राजकीय

भूमि/गैरमुमकिन रास्ता भूमि पर किसी प्रकार की सुविधा/दावे के संबंध मे राजस्थान भू–राजस्व नियम 1956 की धारा 88(2) के प्रावधानो के अनुसार जिला कलैक्टर को अधिकार/शक्तियां दी गई। जिसके तहत रेस्पो0 चाहे तो आवेदन कर सकते है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाना न्यायोचित है।

9. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2018 को निरस्त किया जाता है। रेस्पो0 सं. 1 चाहे तो श्रीमान जिला कलैक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है जिसके लिए रेस्पो0 स्वतंत्र रहेगें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official